



प्रूप सं. 6  
FORM NO. 6

राजस्थान सरकार

Government of Rajasthan

आर्थिक एवं सांख्यिकी निदेशालय

Directorate of Economics & Statistics

मृत्यु प्रमाण—पत्र

**DEATH CERTIFICATE**



( जन्म और मृत्यु रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1969 की धारा 12/17 और  
राजस्थान जन्म और मृत्यु रजिस्ट्रीकरण नियम, 2000 के नियम 8/13 के अधीन जारी किया गया )

( Issued under Section 12/17 of the Registration of Births and Deaths Act, 1969 and Rule 8/13 of the  
Rajasthan Registration of Births and Deaths Rules, 2000 )

यह प्रमाणित किया जाता है कि निम्न लिखित सूचना मृत्यु के मूल अभिलेख से ली गई है जो कि (स्थानीय क्षेत्र/स्थानीय निकाय) .....

तहसील / खण्ड..... जिला ..... राज्य/संघ राज्य

क्षेत्र ..... का रजिस्टर है।

This is to certify that the following information has been taken from the original record of death which is  
the register for (local area / local body).....of tahsil / block..... of  
District.....of state / Union territory .....

नाम/Name: ..... लिंग/ Sex .....

मृत्यु की तिथि/Date of Death ..... मृत्यु स्थान /Place of death.....

माता का नाम/Name of mother.....

पिता/पति का नाम / Name of Father/Husband .....

मृतक का मृत्यु के समय का पता

मृतक का स्थायी पता

Address of the deceased at the time of death:

Permanent address of the deceased:

रजिस्ट्रीकरण सं./Registration No: ..... रजिस्ट्रीकरण की तारीख / Date of Registration .....

टिप्पणी/Remarks(if any).....

जारी करने की तारीख / Date of issue:..... जारी करने वाले प्राधिकारी के हस्ताक्षर/Signature of the issuing authority

जारी करने वाले प्राधिकारी का पता / Address of the issuing authority

मुहर /Seal

नोट:— ‘बच्चे के जन्म के समय माता—पिता का पता’ एवं ‘माता—पिता का स्थाई पता’ के कॉलमों से संबंधित सूचनाएँ 01.01.2007 से पूर्व लागू नहीं थी।

Note : Informations in respect of the columns “Present address of Parents at the time of birth of the child” and “Permanent address of parents” were not applicable before 01-01-2007.